दिनांक 01.03.2023
प्रेस विज्ञप्ति 01/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

विगत 07 दिवस में सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट करने वाले 07 व्यक्तियों को तत्काल कार्यवाही कराकर बचाया गया

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सोशल मीडिया सेन्टर को जनशिकायतों के निस्तारण के साथ–साथ प्रदेश की जनता की अधिक से अधिक मदद करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के अनुपालन में सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्रोएक्टिव होकर जनशिकायतों के निस्तारण के अतिरिक्त आत्महत्या संबंधी प्रकरणों में भी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य हुए तकनीकी सहयोग के तहत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में फेसबुक कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट मेल भेजकर सूचित किया जाता है। उक्त क्रम में विगत 07 दिवस (दिनांक 21–02–2023 से 28–02–2023 के मध्य) मेटा कम्पनी से प्राप्त अलर्ट के आधार पर 07 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा की गयी।

1– दिनांक 21–02–2023 को जनपद देवरिया निवासी इंटरमीडिएट के 19 वर्षीय छात्र द्वारा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट करके, बाद में उसको डिलीट कर दिया गया था। उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा जनपद देवरिया को सम्बन्धित छात्र की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लोकेशन के आधार पर जनपद देवरिया के संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा छात्र के घर जाकर उससे वार्ता एवं काउंसलिंग की गई। छात्र द्वारा परीक्षा के दौरान पोस्ट किए जाने एवं बाद में उक्त पोस्ट को डिलीट करने की जानकारी देते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं किए जाने का आश्वासन दिया गया।

2— जनपद आगरा निवासी 40 वर्षीय महिला द्वारा पुरुष के नाम से फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर दिनांक 21.02.2023 को आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट की गई थी। उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा जनपद आगरा को सम्बन्धित महिला की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा मौके पर जाकर जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि महिला का अपने पति से पारिवारिक विवाद चल रहा है जिसके कारण वह मानसिक रूप से अनस्टेबल है। थाना प्रभारी द्वारा की गयी काउंसलिंग के उपरांत महिला एवं उसके परिजनों द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं किए जाने का आश्वासन दिया गया।

3— जनपद बिजनौर निवासी 22 वर्षीय युवक ने इन्स्टाग्राम पर दिनांक 25.02.2023 को पंखे पर रस्सी का फंदा बनाकर उसे अपने गले में डालकर प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी वीडियो पोस्ट की गई। उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा जनपद बिजनौर को सम्बन्धित युवक की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा उक्त युवक के घर जाकर जानकारी की गयी तो युवक द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा अपने परिजनों को डराने के लिये इस प्रकार की वीडियो पोस्ट की गयी थी। थाना प्रभारी द्वारा की गयी काउंसलिंग के उपरांत उक्त युवक द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

4— दिनांक 25.02.2023 को जनपद आगरा निवासी 19 वर्षीय युवक द्वारा इन्स्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी वीडियो पोस्ट की गई थी जिसमें युवक द्वारा कोई दवा की गोलियॉ खाते हुए अपने आप को प्रदर्शित किया गया था। उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा जनपद आगरा को सम्बन्धित युवक की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा उक्त युवक के घर जाकर जानकारी की गयी तो युवक द्वारा बताया गया कि उसने वीडियो में डोवासिर(विटामिन की गोली) खाकर सोशल मीडिया पर फेमस होने एवं फालोवर्स बढ़ाने के लिये आत्महत्या का ढोंग करते हुए वीडियो पोस्ट किया था। थाना प्रभारी द्वारा की गयी काउंसलिंग के उपरांत उक्त युवक द्वारा भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन दिया गया।

5— दिनांक 25.02.2023 को जनपद बस्ती निवासी 25 वर्षीय युवक द्वारा इन्स्टाग्राम पर आत्महत्या सम्बन्धी वीडियो पोस्ट की गई थी जिसमें उसके द्वारा 06 हरे रंग की गोलियों को दिखाते हुए यह लिखा गया कि **''आज मुझे मरने से कोई रोक नहीं सकता''**। उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा जनपद बस्ती को सम्बन्धित युवक की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा उक्त युवक के घर जाकर जानकारी करने पर उसने बताया कि अपनी प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए उक्त पोस्ट किया था, गलती का एहसास होते ही वीडियो एवं पोस्ट को डिलीट कर दिया है एवं भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट नहीं करने का आश्वासन दिया गया। थाना प्रभारी द्वारा उक्त युवक की काउंसलिंग किये जाने के उपरांत उसे परिजनों की सुपुर्दगी में दिया गया।

6— दिनांक 27.02.2023 को जनपद प्रयागराज निवासी 19 वर्षीय इण्टरमीडिएट के छात्र द्वारा आत्महत्या सम्बन्धी रील को अपनी इंस्टाग्राम आईडी की स्टोरी में लगाया गया था, उक्त रील में सल्फास की गोली को प्रदर्शित करते हुए यह लिखा गया था कि **''आज की रात आखिरी गुड बाय''**। उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा जनपद प्रयागराज को सम्बन्धित छात्र की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा उक्त युवक के घर जाकर जानकारी की गयी तो युवक द्वारा बताया गया कि वीडियो अच्छी लगने के कारण एवं मन उदास होने के कारण उक्त वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी के रूप में लगा दिया गया था, साथ ही भविष्य मे ऐसी पोस्ट नही किये जाने का आश्वास भी दिया गया। थाना प्रभारी द्वारा उक्त युवक की काउंसलिंग किये जाने के उपरांत उसे परिजनों की सुपुर्दगी में दिया गया।

7– दिनांक 28.02.2023 को जनपद फतेहगढ़ की निवासी 14 वर्षीय लड़की द्वारा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट किये जाने पर मेटा कंपनी से प्राप्त अलर्ट के आधार पर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा जनपद फतेहगढ़ को पोस्ट करने वाली युवती से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई गई। मुख्यालय द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा महिला उपनिरीक्षक के साथ तत्काल उक्त लड़की के घर पर जाकर लड़की के परिजनों को विश्वास में लेकर वार्ता की गई। महिला उप निरीक्षक द्वारा लड़की से आत्महत्या सम्बंधी पोस्ट किए जाने के सम्बंध में जानकारी किए जाने पर उसने बताया कि, उसने अपनी बडी बहन की टोका टाकी से परेशान होकर गुस्से मे यह पोस्ट कर दी थी। महिला उपनिरीक्षक द्वारा समझाने एवं काउंसलिंग किए जाने पर लड़की द्वारा भविष्य में ऐसी पोस्ट नहीं करने का आश्वासन दिया गया। काउंसलिंग के उपरान्त उक्त लड़की को सकुशल उसके परिजनों की सुपुर्दगी में दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मेटा कम्पनी के सहयोग से प्रचलित इस व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा मार्च 2022 से अब तक कुल 15 लोगों के प्राणों की रक्षा की जा चुकी है।

अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 द्वारा जनपद के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में पूर्ण संवेदनशीलता बरतते हुए पीड़ित की काउंसलिंग करें एवं इस प्रक्रिया में प्रोफेशनल काउंसलर्स की भी मदद लें। भविष्य में ऐसे प्रकरणों में और बेहतर कार्यवाही हेतु यूपी–112 एवं वीमेन पावर लाइन–1090 को भी इन्टीग्रेटेड करने की विस्तृत रणनीति तैयार की जा रही है।

जनपद बरेली/थाना भोजीपुरा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 01.03.2023 को थाना भोजीपुरा व थाना बिथरी चैनपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम दीदार पट्टी के जंगल में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—जफर उर्फ रमन कालिया सहित अभियुक्त 2—तसलीम घायल हो गये, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जफर उर्फ रमन कालिया थाना बिथरी चैनपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त जफर उर्फ रमन कालिया के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानों पर डकैती, लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना भोजीपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जफर उर्फ रमन कालिया निवासी ग्राम परतापुर जीवनसहाय थाना इज्जतनगर बरेली हालपता—ग्राम घंघोरा घंघोरी थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

2–तसलीम निवासी ग्राम घंघोरा घंघोरी थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद अमरोहा/थाना डिडौली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 12 ट्रैक्टर**
- **06 नम्बर प्लेट, 500 पम्प प्लेट्स, चेचिंस/इंजन नम्बर को गोदने में प्रयुक्त डाई आदि बरामद**

दिनांक 01.03.2023 को थाना डिडौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम चौधरपुर से 02 अभियुक्तों 1–आफताब 2–सद्दाम उर्फ प्रवेज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के विभिन्न कम्पनी के 12 ट्रैक्टर, 06 नम्बर प्लेट, 500 पम्प प्लेट्स, चेचिंस/इंजन नम्बर को गोदने में प्रयुक्त डाई आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना डिडौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आफताब निवासी चकपायंती उर्फ गोसपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

2–सद्दाम उर्फ प्रवेज निवासी श्यौनाली थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–चोरी के 12 ट्रैक्टर।

2–06 नम्बर प्लेट, 500 पम्प प्लेट्स, चेचिंस/इंजन नम्बर को गोदने में प्रयुक्त डाई आदि।

जनपद इटावा/थाना इकदिल

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल**
- **11 मोबाइल फोन, 02 फर्जी नम्बर प्लेट, आधार कार्ड**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.02.2023 को थाना इकदिल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कल्याणपुर तिराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1–आशीष 2–अंकित उर्फ जितेन्द्र 3–अभिषेक उर्फ मुर्गा 4–दीपू उर्फ पुच्चीलाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, 11 मोबाइल फोन, 02 फर्जी नम्बर प्लेट, आधार कार्ड, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद इटावा, मैनपुरी, औरैया के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 03–03 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना इकदिल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आशीष निवासी नगला नया थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

2–अंकित उर्फ जितेन्द्र निवासी जैनपुर नागर थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

3–अभिषेक उर्फ मुर्गा निवासी नगला नया थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

4–दीपू उर्फ पुच्चीलाल निवासी हरदासपुरा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल।

2–11 मोबाइल फोन, 02 फर्जी नम्बर प्लेट, आधार कार्ड।

3–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद बिजनौर/थाना नजीबाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जनपद बिजनौर द्वारा थाना नजीबाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राहुल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 09 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या–14 जनपद सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पिल्लू उर्फ विवेक कुमार को 09 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफः ''भारतीय नौसेना में उच्चाधिकारी बनकर भारतीय रक्षा मंत्रालय व भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर अवैधानिक रूप से धन उगाही करने वाले, अन्तर्राज्यीय गिरोह का सरगना कमिश्नरेट गौतमबुद्वनगर से गिरफ्तार।</u>

दिनांक 01–03–2023 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 व मिलिट्री इन्टेलीजेन्स (ऊधमपुर जम्मू0/कष्मीर) की गोपनीय सूचना के आधार पर भारतीय नौसेना में उच्चाधिकारी बनकर नौकरी के नाम पर फर्जी तरीके से धन उगाही करने वाले सरगना कमिश्नरेट गौतमबुद्वनगर से गिरफ्तार करने/गैंग का अनावरण करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– अतुल माथुर पुत्र कालीचरन निवासी नगला अस्थर, थाना सहावरगेट, जनपद कासगंज।

बरामदगीः–

1– 02 अदद पी कैप इण्डियन नेवी।

2– 02 अदद पी कैप व्हाइट कलर इण्डियन नेवी ऑफिसर।

3– 01 अदद जंगल वर्दी पैंट।

4– 03 जोडी जूते अदद इण्डियन नेवी डीएमएस ।

5– 02 अदद काम्बैट इण्डियन नेवी फुल यूनिफार्म।

6– 02 अदद ब्लैक पैंट इण्डियन नेवी ।

7– 01 अदद जर्सी इण्डियन नेवी ।

8– 02 अदद टी–शर्ट सफेद कलर इण्डियन नेवी ।

9– 01 अदद लैपटाप मय चार्जर।

10– 06 जोड़ी इण्डियन नेवी लेफ्टीनेंट कमांडर रैंक।

11– 06 अदद इण्डियन नेवी आईकार्ड कवर।

12– 02 जोडी इण्डियन नेवी व्हाइट यूनिफार्म।

13– 01 अदद आईकार्ड डोरी इण्डियन नेवी ।

14– 03 अदद रबर स्टाम्प।

15– 01 अदद स्टाम्प पैड ।

16– 02 अदद इण्डियन नेवी यूनिफार्म नेम प्लेट अतुल माथुर।

17– 01 अदद बैल्ट इण्डियन नेवी ब्लैक व व्हाइट ।

18– 01 अदद आर्मी कैण्टीन कार्ड हवलदार कालीचरन।

19– 01 अदद इण्डियन नवल एकेडमी आईडन्टी कार्ड अतुल माथुर।

20– 06 अदद पासपोर्ट साईज फोटो यूनिफार्म ।

21– 02 अदद आर्मी कैरी बैग।

22– 01 कार न0 –यू0पी0 87 आर –5984

23– 02 अदद मोबाइल फोन।

24– 02 अदद चैक बुक।

25– 03 अदद आधार कार्ड अतुल माथुर।

26– नगद रू0 3770/–

27– 01 अदद आईकार्ड आई0आई0एल0एम0 कालेज गौ0नगर।

28– 02 अदद एटीएम कार्ड।

29– 02 अदद परिचय पुत्र दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली।

30– 01 अदद वोटर कार्ड।

31– 02 अदद पास बुक।

32– 01 अदद पैन कार्ड।

33– 02 अदद जियो सिम

34– 01 अदद डायरी।

35– 01 अदद पीली धातु की चैन व अंगूठी।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–

दिनांकः–28–02–2023 समयः–22.30 बजे, स्थानः–सेक्टर–120 आम्रपाली जोडियॉक आर्पटमेंट नोएडा, थाना सेक्टर–113 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को **भारतीय रक्षा मंत्रालय व भारतीय सेना** में सरकारी पद नियुक्ति हेतु फर्जी तरीके से धन उगाही करने वाले संगठित गिरोहों के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। जिनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ की इकाइयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक श्री उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन/मिलिट्री इन्टेलीजेन्स (ऊधमपुर जम्मू0/कष्मीर) द्वारा गोपनीय सूचना के माध्यम से ज्ञात हुआ कि दिनांक 28–02–2023 को **भारतीय रक्षा मंत्रालय व भारतीय सेना** में सरकारी नौकरी के नाम पर फर्जी तरीके से धन उगाही करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सेक्टर–120 आम्रपाली जोडियॉक आर्पटमेंट नोएडा, थाना सेक्टर–113 कमिश्नरेट गौतमबुद्वनगर अपनी गाड़ी से आने वाला है। इस सूचना पर निरीक्षक यतीन्द्र शर्मा, मुख्य आरक्षीगण रामनरेश सिंह, बृजराज सिंह, अरविन्द सिंह, बल्देव सिंह, मु0आ0कमा0 राजपाल सिंह, आ0चा0 बृजकिशोर के मुखबिर व स्थानीय पुलिस को साथ लेकर उसके बताये गये स्थान पर आवश्यक घेराबन्दी करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त/सरगना अतुल माथुर (फर्जी लेप्टीनेंट कमांडर) ने पूछताछ मे बताया कि बेरोजगार युवकों को सेना में भर्ती कराने के नाम पर प्रत्येक युवक से दस–बीस लाख रूपये लिये जाते हैं साथ ही उनसे उनके शैक्षिक, जाति, निवास प्रमाण–पत्रों आदि कि मूल कपी रख ली जाती है। इन युवकों को सनी कुमार जो मेरा भाई है व बृजकिशोर नि0 नगला अस्थर, थाना सहावरगेट, जनपद कासगंज, विपिन कुमार नि0 राया मथुरा ,अमित वाश्णेय पुत्र अशोक कुमार नि0 डिवाई बुलन्दशहर हम अपने सम्पर्कों के माध्यम से फर्जी भर्ती प्रक्रिया हेतु अजय उर्फ अनिल कुमार नि0 मेरठ, जो भारतीय रक्षा मंत्रालय में मिनिस्टीरियल स्टाफ है, जो अथ्यर्थियों के फार्म में कूटरचना करके एवं भारतीय रक्षा मंत्रालय का गेट पास बनवाता है और उन्हें अभ्यर्थियों को देकर भ्रम में डालता है कि आपकी ज्वानिंग विभिन्न पदों पर सही तरीके से हो रही है। हमारे पास आये हुए ग्रामीण युवक/युवतियो को मेरे द्वारा खुद को लेप्टीनेंट कमांडर, इण्डियन नेवी के पद पर प्रदर्शित कर युवको को भरोसे मे लेकर उनकी फर्जी भर्ती प्रक्रिया की जाती है। भर्ती प्रक्रिया से प्राप्त धन हम लोग आपस में बांट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में प्रकाश में आये गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं तथा गिरफ्तार/वांछित अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सेक्टर–113 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में मु0अ0सं0 076/2023 धारा 170/171/419/420/467/468/471/386 भादवि पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है

———